सत्यमेव जयते

न्यायालयः- वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश संख्या-01, बीकानेर

पीठासीन अधिकारीः- चन्द्रशेखर पारीक, आरजेएस

सीआईएस नंबरः- CO/1102/2016

1. श्री डागा पंचायती बगेची ट्रस्ट, धनपतराय मार्ग, नयाशहर, बीकनेर ।
2. जुगल किशोर पुत्र श्री दीनानाथ निवासी जस्सुसर गेट के बाहर, बीकानेर। (सचिव)
3. गवरीशंकर पुत्र श्री शिव रतन, डागा मौहल्ला, बीकानेर। (ट्रस्टी)
4. दीपक कुमार पुत्र श्री बसंत कुमार, डागा मौहल्ला, बीकानेर ।
5. राजेश कुमार पुत्र श्री जुगलकिशोर, निवासी जस्सूसर गेट के बाहर, बीकानेर ।
6. आदित्य पुत्र श्री श्रीलाल, निवासी 9 रॉक हाऊस हिल रोड़, वरली, मुम्बई।
7. रतनचंद पुत्र श्री केवलचंद निवासी ए-54, मंगलदास अपार्टमेंट 825 पूना वली हाई रोड़, किलरोक चैन्नई।
8. सत्यनारायण पुत्र श्री हरख चंद निवासी डागा मौहल्ला, बीकानेर ।
9. नृसिंहदास पुत्र श्री जमनादास निवासी बी-51, फिफ्थ फ्लोर, सर्वोदय नगर, पिंजरा पोल लेन, मुम्बई।
10. माणकलाल पुत्र श्री पन्नालाल निवासी एम-4 एडवायजरी प्रा. लि. करनाणी हाऊस, फर्स्ट फ्लोर, 21 सिविल वाड़ी, कालबादेवी रोड़, मुम्बई।

...वादीगण

बनाम

1. बीकानेर डागा महेश्वरी पंचायत संस्थान द्वारा नारायणदास पुत्र श्री गणेशदास कृष्णा भवन, बिन्नाणी निवासी के पीछे, बीकानेर।
2. गोपालदास पुत्र विठलदास, गोपीनाथ भवन के पास, बीकानेर। (अध्यक्ष)
3. हनुमानदास पुत्र बिठलदास, बी.के. स्कूल के पीछे, डागा चौक, बीकानेर। (उपाध्यक्ष)
4. नारायणदास पुत्र गणेशदास निवासी बिन्नणी निवास के पीछे, माताजी मंदिर के पास, जस्सुसर गेट के अंदर, बीकानेर। (मंत्री)
5. राजेंद्र कुमार पुत्र शिवरतन निवासी भैया कुआं, डागा चौक, बीकानेर।(सहमंत्री)
6. निर्मल कुमार पुत्र बुलाकीदास निवासी बी.के. स्कूल के पास, बीकानेर। (कोषाध्यक्ष)
7. गोविंदलाल पुत्र सुंदरलाल निवासी रानी बाजार, बीकानेर। (सदस्य)
8. रामकिसन पुत्र हरिकिसन निवासी रामा भवन के पीछे, माताजी मंदिर के पास, बीकानेर।(सदस्य)
9. उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, बीकानेर।

10. श्रीदास एन डागा पुत्र श्री नारायण दास निवासी 806 एस.जे. हाकिम रोड़ नम्बर 3, हाजरा हिल, हैदराबाद।

--प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत घोषणात्मक व प्राप्त करने चिर स्थाई निषेधाज्ञ बर बिनाय शहादत हर किस्म</u>

उपस्थितिः-

1- विद्वान अधिवक्ता श्री महीधर नारायण पुरोहित- वादीगण की ओर से

2- विद्वान अधिवक्ता श्री संदीप कुमार जोशी तथा सुश्री बिजयलक्ष्मी गुलगुलिया- प्रतिवादीगण की ओर से

:: <u>निर्णय</u> :: **दिनांक-22.04.2026**

01. वादी ने यह वाद दिनांक 02.06.2016 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय का पेश किया कि वादी संस्था देवस्थान विभाग में एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। वादी संख्या 2 से 10 उसके ट्रस्टी हैं। वादी संख्या 2 को ट्रस्ट की ओर से दावा करने के लिए अधिकृत किया गया है। यह ट्रस्ट सन् 1988 से कार्यरत है। प्रतिवादी संख्या 2 से 8 ने प्रतिवादी संख्या 9 के यहाँ प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से एक संस्था रजिस्टर्ड कराई और संस्था के विधान में 10 उद्देश्य दर्ज किए जिनमें से उद्देश्य संख्या 9 पंचायत की जमीन जनसेवा के लिए लीज पर देना या नाम मात्र किराये पर देना व उद्देश्य संख्या 10 डागा पंचायत की अचल व चल सम्पत्ति की देख रेख सार सम्भाल करना व करवाना दर्ज किए जबकि डागा पंचायत की कोई सम्पत्ति प्रतिवादी संख्या 1 में निहित नहीं है और प्रतिवादीगण जबरदस्ती हस्तक्षेप करने की नियत से वादी संस्था की सम्पदा को खुद में निहित करना चाहते हैं। वादीगण द्वारा उक्त के सम्बन्ध में आपत्ति करने पर प्रतिवादीगण ने आपत्ति पर कोई ध्यान नहीं दिया जिससे वादीगण को वाद हेतुक पैदा हुआ। वादीगण ने अनुतोष चाहा कि न्यायालय यह घोषित करें कि प्रतिवादी संख्या 2 से 8 की संस्था के उद्देश्य संख्या 9 व 10 वादीगण के अधिकारों पर प्रभाव नहीं रखते हैं, विधि विरूद्ध है व चिर निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वाद पत्र के पैरा सं. 2 में वर्णित सम्पत्ति जिसे नक्शा में लाल रंग से दिखाया गया है, प्रतिवादीगण हस्तक्षेप नहीं करे और प्रतिवादीगण के हितों पर प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करे।

02. प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 से 8 की ओर से जवाब दावा मूलतया इन्कारी का ही आया है। विशेष कथनों के रूप में कथन किया है कि वादीगण द्वारा कथित लाल रंग के नक्शे की प्रति बार-बार मांगी जाने पर भी नहीं दी जा रही है। वाद के पैरा संख्या 2 में वर्णित सम्पत्ति वादीगण में निहित नहीं है। जो सम्पदा बीकानेर महेश्वरी डागा समाज की है जिसमें प्रत्येक डागा समाज के व्यक्ति का हित है। वादीगण को कोई वाद कारण प्राप्त नहीं है। वादीगण वाद पत्र के पैरा संख्या 2

में वर्णित सम्पत्ति को खुर्दबुर्द किया है व उसका स्वरूप बदला है, पवित्र पेड़ काटे हैं, अवैध निर्माण कराया है। अंत में वादी का वाद खारिज करने का निवेदन किया है।

03. उक्त अभिवचनों पर विचार कर न्यायालय ने निम्न विवाद्यक कायम कियेः-

1. आया प्रतिवादी सं. 2 से 8 ने प्रतिवादी सं. 9 के यहाँ प्रतिवादी सं. 1 के नाम से एक संस्थान रजिस्टर्ड करवाया जिसमें 10 उद्देश्य दर्ज किए गए, जिनमें डागा पंचायती की कोई चल-अचल सम्पत्ति वेस्ट नहीं होते हुए भी प्रतिवादी सं. 1 से 8 उक्त संस्थान के 9 व 10 में अंकित उद्देश्य की आड़ में वादीगण की वाद पत्र के पैरा सं. 2 में वर्णित और संलग्न नक्शे में दर्शित लाल रंग की सम्पत्ति में हस्तक्षेप करने और वादीगण के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करने पर आमादा है, जिनको पाबंद करवाए जाने के वादीगण अधिकारी हैं? ..वादीगण

2. आया वादीगण का वाद धारा 80 सिविल प्रक्रिया संहिता के नोटिस के अभाव में चलने योग्य नहीं है? ..प्रतिवादीगण

3. आया वादीगण का वाद न्यायशुल्क के अभाव में खारिज किए जाने योग्य है? ..प्रतिवादीगण

4. आया वादीगण के क्लीन हैण्ड से नहीं आने के कारण न्यायालय से कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है? ..प्रतिवादीगण

5. आया वादीगण ने ट्रस्ट के मूल उद्देश्यों का परित्याग करते हुए धार्मिक स्थल को व्यावसायिक/व्यापारिक उपयोग में लेकर सम्पत्ति में बने प्राचीन मंदिर का मूल स्वरूप ही बदल दिया है?
..प्रतिवादीगण

6. अनुतोष

04. उक्त विवाद्यकों को साबित करने के लिए पी.डब्ल्यू-1 के रूप में राजेश कुमार को परीक्षित करवाया है व प्रतिवादी ने डी.डब्ल्यू-1 के रूप में नारायण दास को परीक्षित करवाया है। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श-1 वादी ट्रस्ट का पंजीयन प्रमाण पत्र जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श-1ए, प्रदर्श-2 प्रतिवादी सं. 1 का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श-3 प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श-4 प्रतिवादी संस्था के कार्यालय स्थान बाबत अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श-5 प्रतिवादी संस्था की नियमावली व सदस्यों की संख्या की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श-6 प्रतिवादी संस्था का रजिस्ट्री करवाने बाबत जमा चालान की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श-7 चालान नोटिस की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श-8

वादीगण जुगलकिशोर आदि द्वारा उपरजिस्ट्रार सहकारी समितियों को दिए गए प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श-9 रजिस्ट्रार द्वारा पंजीयन की पत्रावली लौटाने की प्रमाणति प्रति, प्रदर्श-10 व प्रदर्श-11 गोपालदास द्वारा संस्था को पंजीयन करवाने बाबत दिए गए प्रार्थना पत्रों की प्रमाणित प्रतियां, प्रदर्श-12 रजिस्ट्रार के पत्र की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श-13 व प्रदर्श-14 जुगलकिशोर द्वारा दिया गये प्रार्थना पत्रों की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श-15 बीकानेर डागा विकास समिति द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श-16 रजिस्ट्रार द्वारा जुगलकिशोर को भेजे गए पत्र की प्रमाणति प्रति, प्रदर्श-17 जुगलकिशोर द्वारा दिए जवाब की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श-18 रजिस्ट्रार द्वारा पुनः पत्रावली लौटाने की प्रमाणति प्रति, प्रदर्श-19 प्रतिवादीगण के शपथ पत्र की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श-20 प्रार्थना पत्र दिनांकित 24.08.2015 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श-21 लगायत प्रदर्श-23 प्रतिवादी संस्था द्वारा मिटिंग्स की प्रमाणति प्रतियां, प्रदर्श-24 संस्था के विधान की सम्पूर्ण प्रति, प्रदर्श-25 रजिस्ट्रार के पत्र की प्रमाणित प्रति को प्रदर्शित करवाया गया। प्रतिवादी की ओर से कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित नहीं करवाया गया।

05. दोनों पक्षों की बहस में वादीगण का कथन है कि उनके ट्रस्ट के नाम के समान नाम का प्रयोग करके प्रतिवादी पक्ष उनके ट्रस्ट की जमीन हड़पना चाहता है व अवैध हस्तक्षेप करना चाहता है। अंत में वादीगण का वाद डिक्री किए जाने का निवेदन किया।

06. प्रतिवादीगण ने दौराने बहस निवेदन किया कि वादी के पास ऐसे कोई कागजात नहीं है कि यह जमीन उनमें निहित हो और वादी को अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। अतः वाद वादी खारिज करने योग्य है।

07. उभय पक्षों के अभिवचनों के मद्देनजर न्यायालय सर्वप्रथम यह देखना उचित पाता है कि **क्या इस न्यायालय को इस प्रकरण पर क्षेत्राधिकार है?**

इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत मोहनसिंह बनाम सिविल जज (जुनियर डिविजन) & न्यायिक मजिस्ट्रेट में यह बिन्दु प्रश्नगत थेः- 1- कि जहां ट्रस्ट की संपत्ति के दुर्विनियोग व नष्टीकरण के विरूद्ध शाश्वत व्यादेश चाहा गया हो वहां सिवलि कोर्ट असिस्टेंट कमीश्नर देवस्थान विभाग की धारा 38 के अधीन दी गई पूर्व सहमति के बिना इस मामले को सुन सकता है?

08. इस न्यायिक दृष्टांत में माननीय उच्च न्यायालय ने पाया कि राजस्थान ट्रस्ट एक्ट 1959 की धारा 73 किसी सिविल न्यायालय में ऐसे वाद का चलना रोकती है जिसके बारे में प्रावधान राजस्थान ट्रस्ट एक्ट 1959 में हो और ऐसे विषय पर क्षेत्राधिकारिता इस अधिनियम में बताए गए पदाधिकारियों को हो।

09. माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देशित किया कि इस अधिनियम की धारा 38(1)(बी) यह विधि प्रकट करती है कि किसी व्यक्ति का सार्वजनिक न्यास में कोई हित हो वह असिस्टेंट कमीश्नर से न्यास संपत्ति को ढंग से उपयोग किए जाने के लिए आवेदन कर सकता है। असिस्टेंट कमीश्नर इस पर जांच करता है और यदि वह पाता है कि न्यास संपत्तियों का उचित प्रबंधन नहीं हो रहा है तब वह सिविल न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने के लिए कार्यवाही करने की अनुमति देता है। धारा 38 का उद्देश्य यह है कि तंग करने वाली निराधार प्रक्रिया लोकन्यास से संबंधित हो वह सीधे सिविल न्यायालय के सामने नहीं जाए। ऐसे में सिविल न्यायालय के सामने आने से पहले असिस्टेंट कमीश्नर की अनुमति जरूरी है। ऐसे में जहां ऐसी स्वीकृति नहीं है वहां न्यायालय अपना क्षेत्राधिकार धारा 73 राजस्थान ट्रस्ट एक्ट 1959 के तहत वर्जित पाता है। विधि का सामान्य सिद्धांत यह है कि न्यायालय प्रत्येक विवाद्यक पर अपना निर्णय देवे किन्तु जहां न्यायालय का क्षेत्राधिकार ही नहीं है वहां अन्य विवाद्यकों पर सुनने का कोई औचित्य ही नहीं है क्योंकि न्यायालय के उक्त निष्कर्ष क्षेत्राधिकार बाह्य रहेंगे। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय **जगराज सिंह बनाम बीरपाल कौर एआईआर 2007 एससी 2083** का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया जिसमें यह विधि प्रतिपादित है कि जहाँ न्यायालय को विषय पर क्षेत्राधिकार ही न हो वहाँ मामले के गुणावगुण पर विचार नहीं करना चाहिए। ऐसे में क्षेत्राधिकार के अभाव में वाद वादी खारिज किया जाता है।

--आदेश--

10. फलतः वादीगण श्री डागा पंचायती बगेची ट्रस्ट आदि का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बीकानेर डागा महेश्वरी पंचायत संस्थान आदि दावा बाबत घोषणात्मक व प्राप्त करने चिर स्थाई निषेधाज्ञा बर बिनाय शहादत हर किस्म न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अभाव में अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

(चन्द्रशेखर पारीक, आरजेएस)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश
संख्या-01, बीकानेर

11. आदेश आज दिनांक 22.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर पारीक, आरजेएस)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश
संख्या-01, बीकानेर